

डिक्री बमुकदमें ईब्तादाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 18/2025 अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीएक्ट

नौरंगलाल पुत्र सहीराम जाति मेघवाल निवासी गुलाबगढ तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।

-वादी

- बनाम
1. चुन्नी पुत्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी गुलाबगढ तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।
 2. भंवरी देवी पुत्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी गुलाबगढ तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।
 3. सजना पुत्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी गुलाबगढ तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।
 4. सरोज पुत्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी गुलाबगढ तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।
 5. उर्मिला पुत्री किशनाराम उर्फ कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी गुलाबगढ तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।
 6. धापी पुत्री किशनाराम उर्फ कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी गुलाबगढ तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ, राज0।
 7. पूनम पुत्री किशनाराम उर्फ कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी गुलाबगढ तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ, राज0।
 8. मोनिका पुत्री किशनाराम उर्फ कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी गुलाबगढ तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ, राज0।
 9. शर्मिला पुत्री किशनाराम उर्फ कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी गुलाबगढ तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ, राज0।
 10. संतोष पुत्री किशनाराम उर्फ कृष्णलाल जाति मेघवाल निवासी गुलाबगढ तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ, राज0।
 11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व पल्लू जिला हनुमानगढ, राज0।

उपस्थित:- श्री अनिल सिहाग वकील-वादी

श्री श्रवण वर्मा वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 11

निर्णय दिनांक- 18/3/2025

-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष वकील उपरोक्त अभिभाषकगण व राजपेरोकार की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. वादी नौरंगलाल पुत्र सहीराम को तहसील पल्लू की रोही मौजा गुलाबगढ के खाता संख्या 74/149 के खसरा नम्बर 1046 की 2.5680 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1047 की 2.1880 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1048 की 0.3540 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1179/1 की 1.3293 हैक्टेयर पूर्वी पासा इस प्रकार कुल 6.4393 हैक्टेयर बारानी भूमि का,
2. प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 को ब हिस्सा बराबर तहसील पल्लू की रोही मौजा गुलाबगढ के खाता संख्या 74/149 के खसरा नम्बर 1179/1 की 1.9597 हैक्टेयर पश्चिमी पासा उतर से दक्षिण लम्बाई में इस प्रकार कुल 1.9597 हैक्टेयर बारानी भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिफेन अपना अपना वहन करेगें। आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18/3/2025 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

